>

Title: Need to remove ban on installing barrage on Kut Kut dam in Auranagabad Parliamentary Constituency.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल को सदन के सामने रखना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कराना चाहता हूं।

महोदय, मैंने अपने पहले सत्र से, जिस सत्र में मैंने शपथ लिया था, उस सत्र से इस सवाल को लगातार उठाता आ रहा हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र बिहार के औरंगाबाद और गया के लिए एक अन्तरराज्यीय सिंचाई परियोजना है, जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है।

महोदय, इस परियोजना का कार्यारम्भ वर्ष 1975 से हुआ। अभी तक उस पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए और प्रति वर्ष लगभग पन्द्रह करोड़ रुपये उसके स्थापना व्यय पर खर्च हो रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि वर्ष 2007 में यूपीए-1 की सरकार ने इस परियोजना के कुटकुट डैम में लोहे के फाटक अथवा स्विस गेट लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। नतीज़ा यह है कि हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी यह नहर बरसाती नहर हो गयी है। जब कोयल नदी में बारिश का पानी आता है तब नहर में पानी जाता है। उसके बाद सूखा पड़ जाता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यूपीए-1 की सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस बांध में गेट लगाने पर प्रतिबंध लगाया। इसका नतीज़ा यह है कि सवा लाख हेक्टेयर भूमि असिंचित है।

मेरा इस सरकार पर आरोप है कि यह सरकार किसानों की हितकारी सरकार नहीं है। यह सरकार किसानों का हित नहीं देखना चाहती। पांच लाख किसान इससे प्रभावित हैं।...(व्यवधान)

महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि अन्त-अन्त तक इस सरकार को सुबुद्धि आए और भारत सरकार ने कुटकुट डैम में फाटक लगाने पर जो प्रतिबंध लगाया है, उस प्रतिबंध को हटाए ताकि वहां डैम में स्विस गेट लग सके, जल-जमाव हो और नहर में पानी आ सके।